Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 2

नवंबर 2004

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग

बैंक स्वयं की चैक समाहरण नीति बनायें

रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित मामलों को शामिल करते हुए एक व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करें: (i) स्थानीय/बाहरी केंद्र के चेक तत्काल जमा करना, (ii) स्थानीय/बाहरी केंद्र के चेकों के समाहरण के लिए समय-सीमा, तथा (iii) विलंबित समाहरण के लिए ब्याज की अदायगी। परिणाम स्वरूप, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा पहले जारी किये गये अनुदेश अब खारिज समझे जायेंगे।

अपनी चैक समाहरण नीतियां तैयार करते समय बैंकों को निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए सूचित किया गया है:

- समाशोधन व्यवस्थाओं के लिए अपनायी गयी अपनी प्रौद्योगिकीगत क्षमताओं, प्रणालियों तथा क्रियाविधियों को तथा एवं संपर्कसूत्रों (कोरेसपोंडेंट्स) के माध्यम से समाहरण की अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें।
- अपनी विद्यमान व्यवस्थाओं तथा क्षमताओं की समीक्षा करें तथा समाहरण अवधि को घटाने के लिए कोई योजना तैयार करें।
- यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरतें कि छोटे जमाकर्ताओं के हितों की पूर्णतः रक्षा की जाती है।
- वे देखें कि इस संबंध में निर्धारित नीति को भारतीय बैंक संघ की मॉडेल जमा नीति के अनुरूप बैंकों द्वारा बनायी गयी जमा नीति के अनुरूप रखा जाता है।
- उनके द्वारा निर्धारित किये गये मानकों का स्वयं उनके द्वारा अनुपालन न किए जाने से हुए विलंबों के कारण देय ब्याज के भुगतान के संबंध में अपनी देयता निर्धारित करें। जहां आवश्यक हो, वहां ग्राहक द्वारा दावा किये बिना ही ब्याज के भुगतान के रूप में मुआवजा दिया जाए।

बैंकों को चाहिये कि वे इस नीति को, इस संबंध में रिजर्व बैंक के अनुदेशों के साथ अपने बैंक के बोर्ड के सामने रखें और नीति के औचित्य के संबंध में बोर्ड का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे उनके द्वारा बनायी गयी नीति को वेब-साइट पर रखकर तथा अपनी शाखाओं में सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करवा कर उसका व्यापक प्रचार करें। वे अपने ग्राहकों को जमाकर्ता, उधारकर्ता अथवा अन्यथा के रूप में उससे शुरुआती संबंध स्थापित होने के समय इन पहलुओं पर सेवाओं के मामले में अपने आश्वासनों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें। इसके अलावा, बैंकों को चाहिये कि वे अपनी नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में ग्राहकों को अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग लोकपाल, बैंक एवं उसके किसी ग्राहक के बीच बैंक की प्रकाशित नीतियों तथा क्रियाविधियों की तुलना में उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने के अपने विशेष अधिकार का उपयोग करना जारी रखेगा।

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज मासिक आधार पर

एनआरई तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की क्रियाविधि में एकरूपता लाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया हैं कि वे एफसीएनआर(बी) पर ब्याज दरें, पहली नवम्बर 2004 से प्रभावी करते हुए, पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर मौजूद लिबोर/स्वैप दरों के आधार पर तय करें। अलबत्ता, ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा, येन जमाराशियों के मामले को छोड़ कर लिबोर/स्वैप दर मायनस 25 आधार पाइंट बनी रहेगी। येन जमाराशियों के मामले में बैंकों को एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर दरें पर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है और ये लिबोर के बराबर अथवा कम हो सकती हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
बैंक स्वयं की चैक समाहरण नीति बनायें	1
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज मासिक आधार पर	1
वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - खास-खास बातें	2-3
अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर बढ़ायी गयी	4
देशी/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कटौती	4
निर्यात आय लिए वसूली की समय सीमा बढ़ायी गयी	4
वाणिज्यिक पत्रों पर न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटायी गयी	4
सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों के लिए बैंक वित्त	4
शहरी गरीबों के लिए वित्त	4
लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए संमिश्र ऋण सीमाएं बढ़ायी गयीं	4
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश	4
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ायी गयी	4
छोटे तथा सीमांत किसानों को उधार	4
कृषिगत मशीनरी के लिए ऋण तथा निविष्टियों का वितरण	4

वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

घरेलू गतिविधियां

- 2004-05 के लिए सकल देशी उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.0 - 6.5 प्रतिशत की शृंखला के बीच रखा गया है जबकि इससे पहले इसके 6.5 - 7.0 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद की जा रही थी।
- थोक मूल्य सूचकांक में बिंदु दर बिंदु उतार-चढ़ावों के साथ नापी गयी वार्षिक मुद्रा स्फीति मार्च के अंत के 4.6 प्रतिशत से बढ़ कर अगस्त के अंत में 8.3 प्रतिशत हो गयी। लेकिन अब ये घट कर 9 अक्तूबर 2004 की स्थिति के अनुसार 7.1 प्रतिशत रह गयी है।
- वर्ष 2004-05 के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति दर नीति प्रयोजनों के लिए 6.5 प्रतिशत के आस-पास रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि पहले इसके 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
- इस राजकोषीय वर्ष (पहली अक्तूबर 2004 तक) मुद्रा आपूर्ति (एम3) के पिछले वर्ष के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 5.4 प्रतिशत के कम स्तर पर रहने का अनुमान है।
- 2004-05 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) में अनुमानित विस्तार 14.0 प्रतिशत पर रखा गया है।
- इस राजकोषीय वर्ष (पहली अक्तूबर 2004 तक) गैर-खाद्यान्न ऋण में 11.5 प्रतिशत की आशातीत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष इसमें 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- इस राजकोषीय वर्ष (21 अक्तूबर 2004 तक) में केंद्रीय सरकार ने 75044 करोड़ रुपये के सकल बाज़ार उधार पूरे कर लिये हैं। ये बजटीय राशि के 49.8 प्रतिशत हैं।
- केंद्रीय सरकार ने 21 अक्तूबर 2004 तक बजटीय राशि के 29.0 प्रतिशत के शुद्ध बाज़ार उधार पूरे कर लिये हैं।
- मज़बूत ऋण मांग को देखते हुए वर्ष की बाकी हिस्से के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक तैयार किये जाने की ज़रूरत होगी।
- वित्तीय बाज़ार आमतौर पर स्थिर बने रहे हालांकि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार ने हाल ही के महीनों में कुछ उत्तेजना दिखायी।
- बाज़ार ब्याज दरों ने कुछ वृद्धि की गति, खास तौर पर लंबे अरसे के लिए, दर्शायी।
- बैंकों को बासले II मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार जोखिम के लिए मार्च 2006 के अंत तक पूंजी प्रभार लागू करने के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए कहा गया।

बाहरी गतिविधियां

- हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार मज़बूती पकड़ रहा है, वैश्विक तेल मूल्यों में वृद्धि के लगातार बने रहने के कारण, खास तौर पर गिरावट के जोखिम में बढ़ोतरी हो रही है।
- अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन की तुलना में 21 अक्तूबर 2004 की स्थिति के अनुसार रुपये की विनिमय दर में गिरावट आयी।
- विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2004 के अंत के 113.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्शाते हुए 21 अक्तूबर 2004 की स्थिति के अनुसार 120.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये।
- अप्रैल-सितंबर 2004 के दौरान भारत के निर्यात अमेरिकी डॉलर के रूप में 24.4 प्रतिशत बढ़े जबकि आयातों ने 34.3 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर्ज की गयी। उच्चतर व्यापार घाटा, उच्चतर तेल आयात बिल और साथ ही साथ सकल आयात मांग में वृद्धि को दर्शाता है।
- चालू खाता पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार अधिशेष में बना रहा। 2004-05 की पहली तिमाही के दौरान चालू खाते ने 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष भी दर्ज किया।

समग्र आकलन

- निवेश गतिविधि में उछाल तथा गैर-खाद्यान्न ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि मज़बूती से आधार बनाये रखने वाली गतिविधियां प्रतीत होती हैं और ये अस्थायी प्रवृत्तियां नहीं हैं।
- चूंकि आपूर्ति झटके की मात्रा और उसके लगातार बने रहने की आंशिक रूप से उम्मीद नहीं की गयी थी, मांग प्रबंधन में, खास तौर पर मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को स्थिर बनाये रखने के लिए विश्वसनीय तरीके से बारीकी से ध्यान दिये जाने की ज़रूरत होगी।
- हालांकि रिज़र्व बैंक स्थिरता के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा, बाज़ारों को अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
- वर्ष के बाकी हिस्से के लिए चुनौतियां कमोबेश वर्ष की पहली छमाही की तरह ही बनी रहेंगी और वृद्धि की गति को बनाये रखने और मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता रहेगा।

मौद्रिक नीति की अवस्थिति

- 2004-05 के लिए मौद्रिक नीति की समग्र अवस्थिति यह होगी कि अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को पूरा करने तथा निवेशों तथा निर्यात मांग को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान किया जाये जबकि मूल्य स्थिरता पर उतना ही ज़ोर दिया जाता रहेगा।
- रिज़र्व बैंक ऐसा ब्याज दर परिवेश बनाये रखेगा जो मैक्रो इकॉनॉमिक तथा मूल्य स्थिरता के लिए सहायक हो तथा यह वृद्धि की दर को बनाये रखे।
- रिज़र्व बैंक, मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को स्थिर बनाये रखने की दृष्टि से सामने आनेवाली परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से उपायों पर विचार करेगा।

सुधार और उपाय

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- रेपो दर में 25 आधार पॉइंट की वृद्धि करके उसे 4.75 प्रतिशत किया गया।
- संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा ओवरनाइट फिक्स्ड रेट रेपो तथा रिवर्स रेपो के साथ संचालित की जाएगी (परिपत्र जारी)।
- अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में अमेरिकी डॉलर लिबोर/स्वैप दरों की तदनुरूपी अवधि समाप्तियों पर 50 आधार पॉइंट की वृद्धि की गयी (परिपत्र जारी)।
- बैंक एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा मासिक आधार पर तय कर सकते हैं (परिपत्र जारी)।
- खुदरा घरेलू मीयादी जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधि घटा कर 7 दिन की गयी (परिपत्र जारी)।
- कृषि क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सीमा बढ़ायी गयी (परिपत्र जारी)।
- सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्रावधानों को छोड़ कर, सेवा क्षेत्र नज़रिये के प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटाये जायेंगे।
- बैंक विशेष कृषिगत ऋण योजनाओं के अंतर्गत छोटे और मझौले किसानों को मार्च 2007 तक अपने संवितरण बढ़ायेंगे (परिपत्र जारी)।
- निजी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध कि वे वर्ष 2005-06 से कम से कम 20-25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखते हुए विशेष कृषिगत ऋण योजनाएं तैयार करें (परिपत्र जारी)।
- लघु उद्योगों के उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये की गयी (परिपत्र जारी)।
- लघु क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माने जायेंगे (परिपत्र जारी)।
- बैंक अब प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र को 15 लाख रुपये तक का प्रत्यक्ष वित्त दे सकते हैं (परिपत्र जारी)।

की मध्यावधि समीक्षा - खास-खास बातें

- बैंक साधनहीन शहरी गरीबों को गैर-संस्थागत उधारदाताओं के अपने ऋणों को चुकाने के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं (परिपत्र जारी)।
- भारतीय बैंक संघ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एनसीएइआर द्वारा दिये गये सुझावों की जांच करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
- (2004-05 के लिए केंद्रीय बजट में घोषित के अनुसार) 8000 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि के साथ आरआइडीएफ एक्स का गठन।
- मझौले उद्यमियों के लिए ऋण पुनर्विन्यास तंत्र पर विशेष समूह की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी जायेगी (रिपोर्ट 9 नवंबर 2004 को वेबसाइट पर डाली गयी)।
- रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बेहतर कामकाज से संबंधित परिचालनगत मामलों पर ध्यान देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया और विनियामक मामलों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा।
- ग्रामीण सहकारिता बैंकिंग संस्थाओं को फिर से शुरू करने के लिए टास्क फोर्स की रिपोर्ट जल्दी ही मिलने की उम्मीद।
- कृषि को उधार देने में गति बनाये रखने के लिए बैंकों से अनुरोध किया गया।
- पुरानी (सेकेंड हैंड) आस्तियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त (परिपत्र जारी)।
- कई बैंकों ने निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना घोषित की।
- राज्य सरकारों द्वारा ऋण बढ़ाने पर कार्यदल की रिपोर्ट जल्द ही मिलने की उम्मीद।
- विशुद्ध अंतर-बैंक कॉल/नोटिस मनी मार्केट की दिशा में और प्रगति।
- वाणिज्यिक विलेख (सीपी) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटा कर 7 दिन की गयी (परिपत्र जारी)।
- आइपीए, एनडीएस प्लैटफार्म पर वाणिज्यिक पत्र जारी करने की रिपोर्ट दिन के अंत में देंगे।
- वाणिज्यिक पत्र जारी करने की प्रोसेसिंग, निपटान तथा प्रलेखन के विवेकीकरण तथा मानकीकरण पर दल अपने सुझाव देगा।
- बाज़ार सहभागियों तथा सीसीआइएल के बीच प्रतिभूतियों के ऑटोमेटेड वैल्यू फ्री ट्रान्सफर की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पर दल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी जा रही है। (रिपोर्ट 4 नवंबर 2004 को वेबसाईट पर डाली गयी)।
- सरकार के साथ परामर्श करके वर्ष 2005-06 के दौरान कैपिटल इंडेक्स बांड शुरू किये जायेंगे।
- प्राथमिक व्यापारियों पर कार्यदल की रिपोर्ट टीएसी के समक्ष रखी जायेगी।
- सीसीआइएल के ज़रिए ओटीसी डेरिवेटिव्ज का निपटान मार्च 2005 तक शुरू हो जाने की उम्मीद।
- कार्पोरेट ऋण पर दल द्वारा अपनी रिपोर्ट जनवरी 2005 में प्रस्तुत करने की उम्मीद।
- एमएसएस पर अधिकतम सीमा 60000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 80000 करोड़ रुपये की गयी।
- ओएमओ ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए अध्ययन दल गठित किया जायेगा।
- व्यापार ऋण के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा गारंटी उदार बनायी गयी (परिपत्र जारी)।
- निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए निर्यात आय वसूली के लिए समय-सीमा में छूट दी गयी (परिपत्र जारी)।
- निर्यातकों/आयातकों द्वारा वायदा करारों की बुकिंग में छूट दी गयी (परिपत्र जारी)।
- विदेशी बाज़ार पर एक आंतरिक दल का गठन।
- रिज़र्व बैंक व्यापार संबंधित उपायों के प्रभाव पर नया सर्वेक्षण करायेगा।
- रिज़र्व बैंक बासले II मानदंडों को लागू करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें पब्लिक डोमेन पर रखेगा।
- ओनरशिप एंड गवर्नेंस पर दूसरा प्रारूप दिशानिर्देश जल्दी ही पब्लिक डोमेन पर रखा जायेगा।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को सही और उचित मानदंडों पर आवश्यक अनुदेश जारी किये गये।
- रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड के सभी मामले और साथ ही साथ निरीक्षण से सामने आनेवाले कड़े आदेश/निदेश पब्लिक डोमेन पर रखे जायेंगे (परिपत्र जारी)।
- आवासीय तथा उपभोक्ता ऋणों के लिए अस्थायी जोखिम रोक उपाय निर्धारित किये गये।
- बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों पर विवेकशील दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- वित्तीय संस्थाओं के लिए शंकास्पद आस्तियों के वर्गीकरण के लिए विवेकशील मानदंड घोषित (परिपत्र जारी)।
- डीएफआइ तथा बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण के लिए दृष्टिकोण प्रस्तावित।
- बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए सीआइबीआइएल द्वारा ऋण सूचना जारी करना (परिपत्र जारी)।
- भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में हितों के टकराव पर कार्यदल गठित किया जायेगा।
- शहरी सहकारी बैंकों की भावी भूमिका के लिए विजन दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है।
- रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों पर स्थायी परामर्शदात्री समिति भविष्य में तिमाही आधार पर बैठकें करेगी।
- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए भावी रूपरेखा (रोड मैप) के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप अपनी सार्वजनिक जमाराशियों को धीरे-धीरे समाप्त करने पर विचार करें।
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए पूंजी आधार को अर्जित आस्तियों के 15 प्रतिशत अथवा 100 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक बढ़ाया गया।
- पुनर्वित्त संस्थाओं पर तकनीकी दल की रिपोर्ट दिसंबर 2004 तक आ जाने की उम्मीद।
- सीडीबीएमएस के अंतर्गत डेटा सीरीज़ का पहला लॉट पहली नवंबर 2004 को जारी किया जायेगा (डाटा अब रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर Data base on Indian Economy के जरिए देखा जा सकता है)
- भुगतान तथा निपटान प्रणाली पर प्रारूप विज़न दस्तावेज़ फीडबैक तथा चर्चाओं के लिए पब्लिक डोमेन पर रखा जायेगा।
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए बोर्ड के गठन के लिए प्रारूप विनियमन सरकार के पास गजट में अधिसूचना के लिए भेजा गया।
- राष्ट्रीय निपटान प्रणाली के 2005 के शुरू में चालू हो जाने की उम्मीद।
- भारतीय खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए जोखिम कम करने पर कार्यदल गठित। नवंबर 2004 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- पहली नवंबर 2004 से ईसीएस तथा ईएफटी के लिए प्रति लेनदेन की वर्तमान सीमाओं को समाप्त किया जा रहा है।
- कार्डों के लिए विनियामक तंत्र के लिए कार्यदल गठित किया जायेगा।
- चुनिंदा केंद्रों पर इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के ज़रिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 25000 रुपये तक की धन वापसियां मंजूर करेगा।
- उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर पर आंकड़े भेजने के लिए प्रणालियों तथा क्रियाविधियों को तरतीब देने के लिए एक उच्चाधिकारप्राप्त समिति का गठन।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा कूटों पर संशोधित प्रारूप रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी जा रही है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05 Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05
29 नवंबर तथा 30 नवंबर 2004 को भायखला छँटनी डाक घर - GPO से प्रेषित

अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर बढ़ायी गयी

यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना मिलने तक पहली नवंबर 2004 से संविदागत, एक से तीन वर्ष की अवधिपूर्णता की अनिवासी विदेशी रुपया जमाराशियों पर लागू होने वाली ब्याज दरें तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिन की लिबोर/स्वैप दरों में 50 आधार बिंदुओं को मिलाकर आने वाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्ष की जमाराशियों के लिए निर्धारित ब्याज दरें, परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है तो भी लागू होंगी । ये दरें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

देशी/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कटौती

मीयादी जमाराशियों के स्वरूप में एकरूपता लाने की दृष्टि से बैंक अपने विवेकानुसार 15 लाख रुपये से कम राशि वाली देशी/सामान्य अनिवासी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर सकते हैं। अलबत्ता, 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर देने की स्वतंत्रता बैंकों को रहेगी। संशोधित अनुदेश पहली नवंबर 2004 से लागू हैं।

इससे पूर्व, बैंक न्यूनतम 7 दिन की अवधिपूर्णता अवधि की 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की मीयादी जमाराशियां स्वीकार कर सकते थे। 15 लाख रुपयों से कम की मीयादी जमाराशियों के मामले में अवधिपूर्णता की न्यूनतम अवधि 15 दिन थी।

निर्यात आय लिए वसूली की समय सीमा बढ़ायी गयी

इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) तथा बायो-टैक्नालॉजी पार्क (बीटीपी) में स्थापित इकाइयों तथा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को अब इस बात की अनुमति है कि वे निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरे निर्यात मूल्य की वसूली कर सकती हैं और राशियां वापिस ला सकती हैं। यह रियायत पहली सितम्बर को अथवा उसके बाद किये गये निर्यातों पर उपलब्ध होगी। अलबत्ता, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा अर्जनों के 100 प्रतिशत को जमा लिखने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश जारी रहेंगे।

वाणिज्यिक पत्रों पर न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटायी गयी

निर्गमकर्ताओं को वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के ज़रिये अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए तथा निवेशक बेहतरीन अल्पकालिक विलेखों में निवेश करने के अवसर पा सकें, इस दृष्टि से वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से 15 दिन से घटा कर 7 दिन कर दी गयी है।

सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों के लिए बैंक वित्त

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उनके द्वारा वित्तपोषित सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को वित्त प्रदान कर सकते हैं। बैंक सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों की खरीद के लिए ग्राहकों को सीधे ही वित्त सहायता भी उपलब्ध करा सकते हैं।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे सीधे ही तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, दोनों के माध्यम से सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों के वित्तपोषण के लिए अपने अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से यथोचित ऋण नीतियां तैयार करें।

इससे पूर्व, बैंकों को इस तरह की आस्तियों की खरीद के लिए मीयादी ऋण के ज़रिये अथवा इस तरह की आस्तियों की खरीद तथा पुन: लीज के लिए लीजिंग कम्पनियों को वित्तपोषण के ज़रिये मौजूदा आस्तियों पर वित्त मंजूर करने से मना किया गया था।

अभावग्रस्त शहरी गरीबों के लिए वित्त

शहरी गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर लाने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अभावग्रस्त शहरी गरीबों को यथोचित संपार्श्विक अथवा समूह जमानत पर ऋण दें ताकि वे गैर संस्थागत उधार देने वालों को अपने कर्ज चुका सकें। बैंक इस संबंध में अपने अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से यथोचित दिशानिर्देश तैयार करें। इस संबंध में शहरी गरीब के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार आयेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

इसके अलावा, बैंक शहरी गरीबों को दिये जाने वाले इस तरह के ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमज़ोर वर्गों को ऋणों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अलबत्ता, इस तरह के ऋण, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों में *अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र* के व्यापक शीर्षक के अन्तर्गत *गैर संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋणी शहरी गरीबों को ऋण* के एक अलग से उप-शीर्षक के अन्तर्गत रिपोर्ट किये जायें।

लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए संमिश्र ऋण सीमाएं बढ़ायी गयीं

लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण सुगमता से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश

लघु उद्योग क्षेत्र में ऋणों के प्रतिभूतिकरण (सिक्यूरिटाइज़ेशन) को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योग को प्रत्यक्ष ऋणों के रूप में प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों को निवेशों को अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को उनके प्रत्यक्ष ऋण के रूप में माना जायेगा बशर्ते,

- पूल की गयी आस्तियां, जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण दर्शाती हैं, इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत गिना जाता है, तथा
- प्रतिभूतिकृत ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से शुरू होते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ायी गयी

आवासीय क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक, अपने अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से, स्थल पर ध्यान दिये बिना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अपने ऋणों के हिस्से के रूप में 15 लाख रुपये तक का प्रत्यक्ष वित्त आवासीय क्षेत्र को दे सकते हैं।

छोटे तथा सीमांत किसानों को उधार

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मार्च 2007 तक विशेष कृषिगत ऋण योजनाओं के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को अपने संवितरण अपने प्रत्यक्ष अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विशेष कृषिगत ऋण योजनाओं (एसएसीपी) के अन्तर्गत संवितरणों की छमाही विवरणी में छोटे तथा सीमांत किसानों को अपने उधारों के आंकड़े अलग से दें।

कृषिगत मशीनरी के लिए ऋण तथा निविष्टियों का वितरण

कृषिगत क्षेत्र को ऋण उपलब्धता में और अधिक सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों सहित कृषिगत मशीनरी में डीलरों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिमों की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर तीस लाख रुपये तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए निविष्टियों के वितरण के लिए 25 लाख रुपये बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया जाये।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऑण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**